देवघर समाहरणालय
(जिला भू–अर्जन शाखा)
–: अधिसूचना :–

संख्या 01/2015-16/182 / भू अ0

दिनांक : 15-6.2015

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :– वनकनाली , थाना :– सारठ थाना सं०–600 अंचल:– सारठ, जिला :– देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना पॉवर ग्रीड सब स्टेशन 132/33 के.बी. की स्थापना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :–वनकनाली, थाना :–सारठ, थाना सं० :– 600 अंचल:– सारठ जिला :–देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 8.00 एकड़ याने .... मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं, अर्जनाधीन है :– ....

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड स0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड स0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	79 पूर्ण 80 पूर्ण	रैयती रैयती	धानी धानी	3.59 0.83 4.42	चन्दकिशोर राय, पे. स्व. गनशु राय	खेसरा सं0– 127,128	खेसरा सं0– 76, 77, अंश 79	रास्ता स. 131, 132 खेसरा सं0 130	खेसरा सं0– 85, 84, 82, 81, 59 एवं 78
2	6	83 पूर्ण 129 अंश	रैयती रैयती	धानी धानी	0.54 3.04 3.58	युधिष्ठिर राय, पे. स्व. अमीन राय	खेसरा सं0– 127,128	खेसरा सं0– 76, 77, अंश 79	रास्ता स. 131, 132 खेसरा सं0 130	खेसरा सं0– 85, 84, 82, 81, 59 एवं 78
		कुल–			8.00					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एव पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

E/2015 La/ Vankanali Power Sub Greed chitra/adhisuchna

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाएपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रकवष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

15/6/15
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

15.6.15
अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

ज्ञापांक 182/ भू अ0, देवघर, दिनांक 15 वीं जून, 2015 ई0।

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभग, झारखण्ड, राँची को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिलि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि झारखण्ड सरकार के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

प्रतिलिपि : संबंधित ग्राम पंचायत मुखिया/अंचल अधिकारी, सारठ/अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसका प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि : महापबंधक, एस.पी.माइन्स, चितरा कोलयरी को सूचनार्थ प्रेषित।

15/6/15
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

15.6.15
अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

ज्ञापांक 01 / 2015–16 / 182 / भू अ0, देवघर दिनांक – 15.06.2015

1.	Advertiser Name	Shri Bhagwan Jha
2.	Department Name	Revenue Department
3.	Designation Name	A.D.C., Deoghar
4.	Advertiser Department	D.L.A. Office, Deoghar
5.	Messenger Name	Fannu Thakur
6.	Messenger Designation	Chainman
7.	Messenger E-mail ID	deoghardlao@gmail.com
8.	Messenger Mobile No.	9572896456

16/6/15

जिला भू अर्जन पदाधिकारी,
देवघर।